जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स मेनिको मिनरल्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, एम.एल. नम्बर 01/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000101957, क्षेत्रफल 2.8087 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,22,159.6 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–1,79,847 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड– 1,13,734.4 टी.पी.ए., वेस्ट – 19,983 टी.पी.ए. एवं ऑवर बर्डन – 8,595.2 टी. पी.ए.) निकट ग्राम–नाल छोटी तहसील–बीकानेर, जिला–बीकानेर, **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 26.7799 कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–17,16,955.6 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, पूगल, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन नाल बड़ी, तहसील–बीकानेर जिला–बीकानेर** में दिनांक **13.06.2025** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स मेनिको मिनरल्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	एम.एल. नम्बर 01/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000101957	2.8087 हैक्टेयर	3,22,159.6 टी.पी.ए. (रोम)
2	मैसर्स श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत	एम.एल. नम्बर 11/2018	2.9020 हैक्टेयर	1,96,770 टी.पी.ए.
3	मैसर्स श्री जयचन्द लाल	एम.एल. नम्बर 44/2018	1.8692 हैक्टेयर	1,06,560 टी.पी.ए.
4	मैसर्स श्री जयचन्द लाल	एम.एल. नम्बर 31/2018	3.9933 हैक्टेयर	2,39,922 टी.पी.ए.
5	मैसर्स श्री जयचन्द लाल	एम.एल. नम्बर 32/2018	3.8696 हैक्टेयर,	2,05,650 टी.पी.ए.
6	मैसर्स श्री जयचन्द लाल	एम.एल. नम्बर 33/2018	3.9900 हैक्टेयर	2,05,650 टी.पी.ए.
7	मैसर्स श्री जयचन्द लाल	एम.एल. नम्बर 34/2018	3.3722 हैक्टेयर	2,00,322 टी.पी.ए.
8	मैसर्स श्री बसंत कुमार	एम.एल. नम्बर 45/2018	3.9749 हैक्टेयर	2,39,922 टी.पी.ए.

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 04.05.2025 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
पूगल, जिला–बीकानेर

से उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, पूगल की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स मेनिको मिनरल्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेंट टैक्नो लैब प्रा.लि."** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेट टैक्नोलैब प्रा.लि."** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम नाल छोटी, तहसील–बीकानेर, जिला–बीकानेर में खनिज–बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन हेतु प्रस्तावित है **जिसका एम.एल. नम्बर 01/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000101957,** कुल खनन क्षेत्रफल **2.8087** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **3,22,159.6 टी.पी.ए. (रोम)** **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 26.7799 एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–17,16,955०6 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री श्याम सुन्दर स्वामी, निवासी नाल बड़ी द्वारा जानकारी चाही गयी की क्या ग्रीन जोन में माईनिंग लीज मिल सकती है क्या? जिसके प्रत्युत्तर में श्री मोहित बैद प्रतिनिधि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 2017 में जारी नोटिफिकेशन के तहत कुछ नियमों का पालन करते हुए ग्रीन जोन में माईनिंग लीज मिल सकती है एवं जिसका 2022 में रिवाईज्ड़ नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनसमूह से खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया एवं साथ ही कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब को दोबारा सत्यापित करवा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
पूगल, जिला–बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय बीकानेर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया कि आप द्वारा दिये गये सुझाव/आक्षेप/आपत्ति को नोट किया जायेगा एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

श्री श्याम सुन्दर स्वामी, निवासी नाल बड़ी द्वारा जानकारी चाही गयी की सी.एस.आर फण्ड का उपयोग कहाँ किया जायेगा? जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि सी.एस.आर फण्ड के उपयोग का निर्धारण जिला कलक्टर के स्तर पर होता है। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार को सामाजिक दायित्वों हेतु खर्च की जाने वाली राशि की पुनः जानकारी देने हेतु कहा गया। परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया कि गाँव के विकास हेतु सामुदयिक शिक्षा, स्वास्थ्य, गतिविधियों एवं सामुदायिक जल संरक्षण एवं अन्य कार्यों में सालाना 4 लाख का बजट प्रस्तावित है।

श्री तारूनाम नायक, निवासी नाल छोटी द्वारा कहा गया कि पूर्व में चल रही खनन इकाईयों द्वारा वृक्षारोपण नहीं करवाया जाता है। साथ ही श्री तारूराम द्वारा जानकारी चाही गयी की खनन के सम्बन्ध में शिकायत कहाँ की जा सकती है? जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि खनन इकाई के सम्बन्ध में शिकायत खनन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में दी जा सकती है साथ ही जिला प्रशासन को भी कर सकते है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित खनन इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनसमूह का स्वागत करते हुए जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से पूछा गया कि क्या पूर्व में चल रही किसी भी खनन इकाई द्वारा सामाजिक दायित्व में कार्य किया गया है? जिसके प्रत्युत्तर में जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि पूर्व में चल रही किसी भी खनन इकाई द्वारा सामाजिक विकास में कोई कार्य नहीं किया गया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन इकाई के प्रतिनिधि से सामाजिक विकास हेतु निर्धारित बजट के सम्बन्ध मे जानकारी देने हेतु कहा गया।

खनन इकाई के प्रतिनिधि श्री मनीष कक्कड़ द्वारा बताया गया कि सामाजिक दायित्वों हेतु खर्च की जाने वाली राशि हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से सीएसआर फण्ड के उपयोग हेतु 10 ग्रामवासियों की कमेटी गठन करने हेतु कहा गया। साथ ही खनन इकाई के प्रतिनिधि से पूछा गया कि 4 लाख राशि का निर्धारण किस तरह किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियाजिना की कुल लगात का 2 प्रतिशत सामाजिक विकास हेतु रखा गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
पूगल, जिला–बीकानेर

श्री राजेश कुमार, निवासी नाल बड़ी द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित खनन इकाई में खनन कार्य हेतु रखे जाने वाले मजदूर किसी विभाग से रजिस्टर्ड होगें या अरजिस्टर्ड जिसके प्रत्युत्तर में श्री मोहित बैद, प्रतिनिधि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन कार्य में मजदूर ठेकेदार की मदद से रखे जायेगे एवं ठेकदार श्रम विभाग में रजिस्र्ड होगा।

श्री दिलिप सिंह, निवासी नाल बड़ी द्वारा कहा गया कि पूर्व में आयोजित जन सुनवाई के समय ग्रामवासियों को सूचित नहीं किया गया जिससे ग्रामवासी जनसुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही श्री दिलिप सिंह द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई सूचना भी आज सुबह प्राप्त हुई है अतः जनसुनवाई की दिनांक को आगे बढाये जाये।

श्री अर्जून सिंह, निवासी नाल बड़ी द्वारा खनन प्रतिनिधियों का सहयोग करने का आश्वासन देते हुए श्री दिलिप सिंह की बात का भी समर्थन किया की जनसुनवाई की दिनांक को आगे बढाये जाये।

श्री मोहन सिंह, निवासी नाल बड़ी द्वारा पूर्व में चल रही खनन इकाईयों से भी सामाजिक दायित्वों की राशि ग्राम पंचायत को दिलाने का निवेदन किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि इस हेतु आप ग्राम पंचायत के माध्यम से उपखण्ड कार्यालय को पत्र लिखने हेतु कहा गया।

श्री अर्जून सिंह, निवासी नाल बड़ी द्वारा कहा गया कि पूर्व में आयोजित हुई जनसुनवाई की खनन इकाई से भी सामाजिक दायित्वों की राशि ग्राम पंचायत को दिलवायी जाये। जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि उक्त खनन इकाई की पर्यावरणीय स्वीकृति अभी प्रक्रियाधीन है, खनन कार्य शुरू होने पर उक्त खनन इकाई से भी सामाजिक दायित्वों की राशि ग्राम पंचायत को दिलवायी जायेगी।

श्री धनश्याम शर्मा, निवासी नाल बड़ी द्वारा जनसुनवाई की दिनांक को आगे बढाये जाने हेत निवेदन किया। जिसके प्रत्युत्तर में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि अधिसूचना में जनसुनवाई की दिनांक आगे बढाये जाने का प्रावधान नहीं है। अगर किसी खनन इकाई द्वारा सामाजिक दायित्व की राशि ग्राम विकास हेतु खर्च नहीं की जाती है तो आप उपखण्ड कार्यालय में शिकायत कर सकते है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहा गया कि गाँव के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर खनन मालिकों के साथ बातचीत के माध्यम से भी कार्य किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनसमूह से खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
पूगल, जिला–बीकानेर

श्री मोहन सिंह, निवासी नाल बड़ी द्वारा प्रस्तावित खनन इकाई के प्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों के साथ मिटिंग रखने का निवेदन किया जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात खनन कार्य शुरू होने से पूर्व खनन इकाई के प्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों के साथ मिटिंग का आयोजन किया जायेगा।

अन्त में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों का धन्यवाद व्यक्त किया। ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, पूगल
बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
पूगल

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स मेनिको मिनरल्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, एम.एल. नम्बर 01/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000101957, क्षेत्रफल 2.8087 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,22,159.6 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–1,79,847 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड– 1,13,734.4 टी.पी.ए., वेस्ट – 19,983 टी.पी.ए. एवं ऑवर बर्डन – 8,595.2 टी.पी.ए.) निकट ग्राम–नाल छोटी तहसील–बीकानेर, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना मैसर्स मेनिको मिनरल्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड, एम.एल. नम्बर 01/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000101957, क्षेत्रफल 2.8087 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,22,159.6 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–1,79,847 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड– 1,13,734.4 टी.पी.ए., वेस्ट – 19,983 टी.पी.ए. एवं ऑवर बर्डन – 8,595.2 टी.पी.ए.); मैसर्स श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, एम.एल. नम्बर 11/2018, क्षेत्रफल 2.9020 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,96,770 टी.पी.ए.; मैसर्स श्री जयचन्द लाल, एम.एल. नम्बर 44/2018, क्षेत्रफल 1.8692 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,06,560 टी.पी.ए.; मैसर्स श्री जयचन्द लाल, एम.एल. नम्बर 31/2018, क्षेत्रफल 3.9933 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,39,922 टी.पी.ए.; मैसर्स श्री जयचन्द लाल, एम.एल. नम्बर 32/2018, क्षेत्रफल 3.8696 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,05,650 टी.पी.ए.; मैसर्स श्री जयचन्द लाल, एम.एल. नम्बर 33/2018, क्षेत्रफल 3.9900 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,05,650 टी.पी.ए.; मैसर्स श्री जयचन्द लाल, एम.एल. नम्बर 34/2018, क्षेत्रफल 3.3722 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,00,322 टी.पी.ए.; मैसर्स श्री बसंत कुमार, एम.एल. नम्बर 45/2018, क्षेत्रफल 3.9749 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,39,922 टी.पी.ए.द्व कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 26.7799 कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–17,16,955.6 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की परियोजना प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.06.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन नाल बड़ी, तहसील–बीकानेर, जिला–बीकानेर
दिनांकः–13.06.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	राजेन्द्र कुमार-II	SDM, Pugal	[signature]
2.	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB Bikaner	[signature]
3.			
4.	बीरबलसिंह	नाल बड़ी	Birbal Singh
5.	हिमांशु जांगिड़	बीकानेर	[signature]
6.	[illegible]	[illegible]	[signature]

7.	पीयूष बैंगानी	बीकाने र	Piyush Bengani
8.	नन्दकिशोर	नाल बड़ी	नन्दकिशोर
9.	मोहनसिंह	नाल बड़ी	मोहनसिंह
10.	chad Ku Bid	नाल बड़ी	chad Ruy
11.	कमलसुथार	नाल बड़ी	Camal
12.	[illegible]	नाल	[illegible]
13.	भवरसिंह	नाल छोटी	भवरसिंह
14.	अजय पारीक	नाल.	[illegible]
15.	Aakash Parekh	Bikaner	[illegible]
16.	Tamkum	नाल छोटी	Tamu
17.	[illegible]	नाल बड़ी	[illegible]
18.	मोहित जैन	नाल बड़ी	[illegible]
19.	नारायण [illegible]	नाल बड़ी	[illegible]
20.	नरेश कुमार	जयपुर	[illegible]
21.	[illegible]	नाल बड़ी	[illegible]
22.	गोपालकिशोर	कोलायत	[illegible]
23.	[illegible]	नाल बड़ी	[illegible]
24.	हिम्मताराम	नाल बड़ी	हिम्मताराम
25.	सुरजाराम	नाल बड़ी	[illegible]
26.	अर्जुन सिंह	नाल बड़ी	अर्जुनसिंह
27.	रामसिंह परिहार	मैनीको मिनरल प्राइवेट लिमीटेड	[illegible]
28.	मुकेश पुंकडीया	मैनीको मिनरल प्राइवेट लिमिटेड	[illegible]
29.	मनोज आचार्य	" "	[illegible]

30.	श्याम कुडी	नागल कॉ	[illegible]
31.	दीपिका पुरोहित	जयपुर (Vibrant technologies pvt.)	Deepika
32.	चैत्री शर्मा	जयपुर (Vibrant technologies pvt.)	[illegible]
33.	राजेश कुमार	नालवडी	[illegible]
34.	मवरवाला	नाल डोर	मवरवाला
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			